**एल/ एनके मेहराज सिंह/ कालू**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य**

अप्रैल 21,1994

[डॉ. ए.एस. आनंद और फैज़ान उदिन जे जे]

भारतीय दंड संहितो , 1860 :1धारा 302. हत्या. का विचारण चश्मदीद साक्षियों पर विश्वास नहीं किया गया सभी आरोपी दोषमुक्त.अपील पर उच्च न्यायालय ने एक को दोषमुक्त रखा और अन्य दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनके अप्राकृतिक आचरण को ध्यान में रखते हुए यह कहो जा सकतो है कि किसी भी गवाह ने वास्तव में घटना को नहीं देखा था.पिछली दुश्मनी की वजह से शक के कारण आरोपी को शामिल किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और सजा को अपास्त कर दिया गया।

एन और बी के साथ के और एम को एक घटना के लिए चुनौती दी गई थी। जो कथित तौर पर दिनांक 3.11.1977 को समय सुबह 11.15 एएम हुई थी जिसमे मृतक एस की मृत्यु हो गई थी। के और एन दोनों भाई हैं और बी उनका भतीजा है और बतोया जातो है मृतक के पितो ने समय लगभग 12.45 पीएम पर एफआईऔर दर्ज करायी थी। अभियोजन

पक्ष ने आरोप लगाया कि मृतक और अभियुक्त दोनों पक्षकारान के मध्य शत्रुतो की पृष्ठभूमि थी और अभियोजन पक्ष का कहना है कि जब मृतक अपनी पत्नी पीडब्ल्यू 3 के साथ अपनी गाड़ी में ज्वार भर कर रहो था तब अभियुक्त व्यक्तियों ने बंदूक देसी पिस्तौल और चाकू से उस पर हमला कर दिया। एन और के पर आरोप है कि उन्होनें मृतक पर अपने-अपने हथियारों से गोली चलाई एवं एम के बारे में कहो गया है कि उसने नीचे गिरने के बाद मृतक को चाकू से घायल कर दिया था। अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष चार चश्मदीदी साक्षी पीडब्लू 2 पीडब्लू 3 (मृतक की पत्नी), पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 को परीक्षीत कराया।

विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया । राज्य द्वारा उच्च न्यायालय मे अपील की गई। उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी अपील लंबित रहने के दौरान ही एन की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसके संबंध में अपील का उपशम्मन कर दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा बी के दोषमुक्ती के आदेश को यथावत रखा और के और एम को बरी करने के फैसले को पलटते हुए और उन्हें भा.द.स. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध सहित विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई । राज्य द्वारा बी के दोषमुक्ति के विरूद्ध कोई अपील नही की गई और के व एम द्वारा इस अदालत में अपील की गई।

इस न्यायालय द्वारा अपीलो को स्वीकार करते हुए और उनकी दोषसिद्धी व दण्ड को अपास्त कर दिया।

अभिनिर्धरित : 1 उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि चोटे चार अलग अलग गोलियों के कारित हुई। इस संबंध में चिकित्सकाे से कोई राय नही है और ना ही उनसे काेई स्पष्टीकरण मांगा गया था। उच्च् न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के चोटों को विभाजित किया है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदूआे को नजरअंदाज किया गया जैसे कि चोट नं. 13 में दाहिने होथ के ऊपरी हिस्से में तीन घाव हैं जो चोट संख्या 4 से काफी दूरी है। मृतक की लम्बाई या स्वास्थ्य के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सबूत नहीं है लेकिन उच्च न्यायालय ने यह देखते चोटों संख्या 5 व 6 की दिशा को देखते हुए यह समझने का प्रयास किया कि मृतक एक अच्छी कद काठी का था और इसलिए मृतक के, आरोपी हमलावरों की तुलना में लंबा होने की उपधारण की गई। यह निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य पर आधारित ना होकर पूर्णतया अनुमान पर आधारित है। [600.ई.एच]

2- उच्च न्यायालय ने भी बिना किसी साक्ष्य के कहो कि चोट की दिशाओं को ऊपर की ओर से समझाने के लिए पथ का मार्ग आम तौर पर क्षेत्र की तुलना में थोडॉ अधिक होतो है। [601. ए]

3- ब्लैकनिंग और टैटू की स्थिति से प्रतीत होतो है कि गोलियां करीब से चलाई गई थीं। अभियोजन द्वारा इसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत

नही किया और उच्च न्यायालय ने भी प्रकरण के इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की। [601-बी.सी]

4- मृतक के शरीर पर पाये गये घावों के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष ना तो चिकित्सकीय राय और डेटा और ना ही मेडीकल डॉटा से समर्थित था। [601-सी]

5- चिकित्सकीय साक्ष्य केवल एक राय का प्रमाण है निर्णायक नहीं है। उच्च न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का फैसला कर सकते हैं न कि इस आधार पर कि क्या फैसला किया जाना चाहिए था। मृतक पर पाए गए तीन अलग.अलग प्रकार के घावों के बारे में चिकित्सा गवाह से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था कि क्या ये एक ही हथियार से हो सकते थे या नहीं। [601-एफ.जी]

6- चिकित्सक के अनुसार अर्ध पचित भोजन दर्शातो है कि मृतक ने समय 7.00 ए.एम पर भाेजन किया होेतो तोे उसकी मृत्यु समय 9.00 एएम या 9.30 एएम के मध्य हो सकती थी। यह इस बात की और संकेत करतो है कि घटना उस समय से काफी पूर्व मे घटित हुई है जो अभियोजन द्वारा अभिकथित किया गया है। [601. जी.एच; 602.ए]

7- प्रकरण मे एफआईऔर अभियोजन द्वारा अभिकथित समय पर दर्ज नहीं की गयी थी। ए- गवाह पीडब्लू 3 के अनुसार मृतक सुबह 7 बजे

घर से निकला था। इसलिए उसने घर से निकलने से पहले खाना खा लिया होगा क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि जब वह खेत पर था तो उसे खाना परोसा गया था। चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृतक के भोजन करने के लगभग दा े से ढाई घंटों के भीतर मृत्यु हो सकती थी क्योंकि मृतक के पेट में 150 ग्राम अर्ध पचाया हुआ भोजन पाया गया था। बी- पी डब्ल्यूण 3 के अनुसार यह घटना सुबह लगभग 11.30 एएम पर हुई जिसका अर्थ है कि मृतक ने सुबह 7 बजे के बाद खाना खाया एवं लगभग 9.30 एएम पर घर से निकला। पीडब्लू 3 की ओर से यह दिखाने का प्रयास किया गया कि घटना सुबह 11.30 बजे हुई थी। ऐसा प्रतीत होतो है कि वह यह कहते हुए अभियोजन पक्ष का समर्थन करना चाहती थी कि एफ आईऔर तुरंत 12.45 पीएम पर दर्ज की गयी थी और उसने घटना देखी थी। सी-अभियोजन पक्ष अनुसार पी.डब्ल्यू 8 अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद घटना स्थल के लिए रवाना हुए। लेकिन मौके पर उसके द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट में एफ औई और नंबर या अपराध संख्या नहीं दी गई। यहाँ तक कि जाँच रिपोर्ट में मामले के शीर्षक का भी उल्लेख नहीं है। जाँच रिपोर्ट से इन महत्वपूर्ण तथ्यो के लोप के संबंध मे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एफआईऔर की प्रति जांच रिपोर्ट और शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सा अधिकारी को भी नहीं भेजी गई थी। एक और कारक है जो बहुत प्रासंगिक है, अभियोजन पक्ष ने यह दर्शाने के लिए

कोई साक्ष्य नहीं दिया कि एफआईऔर, विशेष रिपोर्ट (जिसे दंड प्रक्रिया संहितो की धारा 154 सहपठित धारा 157 के वैधानिक प्रावधानों के तहत तुरन्त मजिस्ट्रेट को अनिवार्यतो थी) की प्रति वास्तव में कब भेजी गई। एेसा कोई साक्ष्य यह दर्शित करने के लिए नहीं है कि मजिस्ट्रेट को एफआईऔर की प्रति प्राप्त हुई। [603.ए.एफ 604.ए.बी]

8- एफआईऔर आपराधिक मामले में और विशेष रूप से हत्या के विचारण में साक्ष्य की विवेचना के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान साक्ष्य है। एफआईऔर को शीघ्र दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियो के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है जिसमें अपराध किया गया था। जिसमें वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा किये गये कृत्यो और हथियार यदि कोई हो और चश्मदीद गवाहों के नाम यदि कोई हो शामिल हैं। एफआईऔर दर्ज करने में देरी के परिणाम स्वरूप अक्सर अशोभनीय भावना पैदा होती है जो एक पश्चातवर्ती विचार की उपज है। देरी के कारण एफआईऔर न केवल सहजतो के लाभ से वंचित हो जातो है बल्कि एक आच्छदित दृष्टि या अतिरंजित कहोनी की शुरुआत से भी खतरा पैदा हो जातो है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एफआईऔर उस समय दर्ज की गई थी जब इसे कथित रूप से दर्ज किया गया था। अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जाँचों करती है। इस तरह की जांचाे में से एक एफआईऔर की प्रति की प्राप्ति है जिसे हत्या के

विचारण में स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा एक विशेष रिपोर्ट कहो जातो है। यदि एफआईऔर मजिस्ट्रेट को देरी से प्राप्त होेती है तोे यह एक अनुमान को इंगित करतो हैं कि जिस समय एफआईऔर का दर्ज किया जाना कथित है उस समय एफऔईऔर दर्ज नहीं की गई थी। जब तक कि अभियोजन पक्ष स्थानीय मजिस्ट्रेट को एफआईऔर की भेजने या प्राप्त करने में देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे देते है। दूसरी बाहरी जाँच एफआईऔर की प्रति को शव के साथ भेजना और जाँच रिपोर्ट में इसका संदर्भ देना समान रूप से महत्वपूर्ण है। भले ही जांच रिपोर्ट धारा 174 सीऔरपीसी के तहत तैयार की गई हो। इसका उद्देश्य एक वैधानिक कार्य को पूरा करना एवं अभियोजन मामले को विश्वास दिलाना कि एफआईऔर का विवरण और जांच कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए बयानों का सार, रिपोर्ट में प्रदर्शित होतो है। इन जानकारियाेें का अभाव यह संकेत देतो है कि अभियोजन पक्ष की कहोनी अभी भी उलझी हुई है और उसे कोई भी रूप दिया गया था और यह कि एफआईऔर बाद में उचित विचार विमर्श और परामर्श के बाद दर्ज की गई थी और फिर इसे तुरंत दर्ज किए जाने का रूप देने के लिए एफआईऔर को पूर्व समय दिया गया था।

9-यहों तक की जाँच रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम भी नहीं है । इसमें चश्मदीद गवाहों के नाम और चश्मदीद गवाहों के बयानाे का सार भी नहीं है। जाँच रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितनी गोलियां

चलाई गईं या कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट पर किसी भी चश्मदीद गवाह के हस्तोक्षर नहीं हैं होलांकि अनुसंधान अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहो है कि जब वह घटनास्थल पर गया तो उनमें से दो वहों मौजूद थे और उनके बयान दर्ज किए गये थे। [603. एफ.जी]

10- ऐसा प्रतीत होतो है कि यह एक अज्ञात रूप से की गई हत्या थी और कोई भी चश्मदीद गवाह वास्तव में घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। एफआईऔर दर्ज करने मे लिया गया समय निश्चित रूप से चश्मदीद गवाहों काे, अभियोजन पक्ष के समर्थन करने के लिए परीचित करवाने के लिए था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यद्यपि मृतक की विधवा पी.डब्ल्यू.3 ने दावा किया कि घटना के समय वह अपने पति के साथ मौजूद थी लेकिन उसका आचरण इतना अस्वभाविक था कि उसने न तो अपने पति को बचाने की कोशिश की बल्कि उसके पति के गिरने और प्रतोड़ित होने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश की नही की। अपीलार्थी एम द्वारा चाकू से बार-बार वार करने पर भी उसने ना तो अपने पति के पास जाने की कोशिश की बल्कि  बाद में भी अपनी गोद में उसका सिर पकड़कर उसे आराम देने की कोशिश भी नही की। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि उनमें से किसी के कपड़ों पर खून लगा हो। तथ्य यह है कि इनमें से कोई भी गवाह रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए भी नहीं गया इसके बजाय एफआईऔर दर्ज करवाना मृतक के पितो पर छोड़ दिया गया उक्त आचरण

यह दर्शातो है कि कोई भी गवाह संभवतः मौके पर मौजूद नहीं थे। के के खेत में रक्त नहीं होना और खेत के उस स्थान पर रक्त के निशान न होना जहों मृतक का शव पाया गया था। जैसा कि पीडब्लू 8 द्वारा स्वीकार किया गया है यह दर्शातो है कि घटना उस तरीके से नही हुई है जिस तरह से अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया है और लडॉई की उत्पत्ति का कारण अदालत से छुपाया गया है। पोस्टमॉर्टम निरीक्षण  करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य से दर्शित होतो है कि मृतक के पेट में आंशिक रूप से पचने वाली खाद्य सामग्री थी जिसका वजन लगभग 150 ग्राम था। जिससे यह निष्कर्ष निकलतो है कि यह घटना सुबह 9 से 9.30 बजे के बीच हुई होगी। यदि मृतक ने सुबह 7 बजे अपना भोजन किया था तो अभियोजन पक्ष के कथन की सत्यतो पर संदेह उत्पन्न होतो है जिसमें घटना के समय को सुबह 11.30 एएम पर कारित होना बतोया है। संभवतः यह आश्वासन देने के लिए कि पीडब्ल्यू 2, 3,4 और 5 उस समय खेत में मौजूद थे। चिकित्सक का यह साक्ष्य कि उसने मृतक पर एक एल आकार की चोट (चोट संख्या 11) और एक अर्ध गोलाकार चोट (चोट संख्या 18)  सहित घाव पाए थे इस तथ्य का संकेत है कि ये दोनों चोटें अलग-अलग हथियारों से कारित की गई थी और मृतक पर अन्य घावों की प्रकृति को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकतो है कि तीन प्रकार के धारदार हथियारों का उपयोग किया गया था। इस स्थिति से यह स्पष्ट है

कि चश्मदीद साक्ष्य व चिकित्सा साक्ष्य आपस मे  मेल नही खातो है बल्कि विरोधाभासी है। [605. सी.एचए 606.ए.सी]

11- ऐसा प्रतीत होतो है कि अभियोजन पक्ष द्वारा और और जे को मामले के चश्मदीद गवाह बनाने हेतु ठोस प्रयास किया गया था लेकिन उनके बयान लेखबद्ध् नहीं किये गये इसलिए यह अनुमान लगाना उचित होगा कि वे शायद अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। [606. ई.एफ]

12- यह तथ्य कि कथित चश्मदीद गवाहों को अभियोजन के साथ गहरी दिलचस्पी होेना उनकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से अदालत को उनके साक्ष्य की अधिक सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए तैयार करतो है। उनके असहज व्यवहोर को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होतो है कि किसी भी चश्मदीद साक्षी ने वास्तव में इस घटना को नहीं देखा था और काफी विचार विमर्श और परामर्श के बाद उन्हें चश्मदीद गवाहोे के रूप में पेश किया गया था। ऐसा प्रतीत होतो है कि चूंकि यह एक अज्ञात हत्या थी इसलिए अपीलार्थियों को पिछली दुश्मनी की वजह से संदेह के कारण शामिल किया गया है। [606 . एफ.एच]

**आपराधिक अपीलीय अधिकारितो - अपील सं. 386 /1993**

**साथ में**

**आपराधिक अपील सं.- 288/1994**

सरकारी अपील संख्या 126 /1979 में इलाहोबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 18.07.91 से-

अपीलार्थी की और से - श्री डी. एस. तेवतिया महोवीर सिंह कुसुम सिंह और पी एन गुप्तो ।

उत्तरदातो की ओर से - श्री अनीस अहमद खान , ए. एस. पुंडिर और और. एस. यादव ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया था

डॉ. आनंद जे.: उच्चतम न्यायालय ; (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तोर) अधिनियमए 1970 की धारा 2 (a) के तहत इन दोनों अपीलों में इलाहबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रत्यर्थी राज्य की अपील स्वीकार की गई और अपीलार्थियों काे बरी करने के फैसले को अपास्त करने के निर्देश दिये गये। चूंकि जब से इस समान प्रकार की अपीलें आती है तोे उन्हे सामान निर्णय के द्वारा निपटाया जा रहो है। पुलिस ने कालू नीलू मेहराज सिंह और बाबू को एक घटना के लिए चालान पेश किया था जो धनजू गांव में दिनांक 03.11.1977 काे सुबह 11.15 बजे हुई थी। जिसमें लक्ष्मण सिंह की हत्या कर दी गई थी। जिसमे

निचली अदालत ने सभी अभियुक्तगण को बरी कर दिया। जिसमे राज्य द्वारा अभियुतगण खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दर्ज करवाइ गयी।

उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान नीलू की मृत्यु हो गई और इसलिए उनके खिलाफ अपील का उपशमन कर दिया गया । उच्च न्यायालय ने कालू और मेहराज सिंह दोनों भाइयों को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए बाबू जो कालू और नीलू की बहन का बेटा है को बरी कर दिया। राज्य ने बाबू को बरी करने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है जैसा कि पहले देखा गया है कि कालू और मेहराज सिंह ने दो अलग-अलग अपील दायर की हैं।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार नीलू और कालू और उनके पितो को चोट पहुँचाने के  कारण मृतक के पितो और उसके पक्ष के कुछ अन्य सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित होने के कारण दोनों पक्षों के मध्य संबंध तनावपूर्ण थे और दोनों पक्ष एक.दूसरे के विराधी थे । दिनांक 03.11.1977 को सुबह लगभग 11 बजे जब मृतक लक्ष्मण सिंह अपनी पत्नी श्रीमती कमलेश पी. डब्ल्यू. 2 के साथ चाक रोंढ़ पर रखी अपनी गाड़ी में ज्वार  भर रहे थेए तब अभियुक्तगण द्वारा  बंदूक से हमला किया गया था। उस पर देसी पिस्तौल और चाकू से हमला किया गया। नीलू और कालू द्वारा  अपने-अपने हथियारों से मृतक पर हमला

करने का आरोप है। मेहराज सिंह अपीलार्थी पर आरोप है कि उसने मृतक के गिर जाने  के बाद उस पर चाकू से हमला किया था ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके पितो मखर सिंह ने दिनांक 03.11.77 को लगभग 12.45 बजे  पुलिस थाना दौराला जा े कि घटना स्थल 4 कि. मी. दूर है में दर्ज कराई थी। प्रकरण का अनुसंधान प्रारंभ मे पुलिस उप निरीक्षक सुल्तोन सिंह पी. डब्ल्यू 8  द्वारा किया गया और उसके बाद पुलिस उप निरीक्षक  लक्ष्मण सिंह  पी. डब्ल्यू. 9 द्वारा किया गया ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडब्लू 8 सुल्तोन सिंह दोपहर 2.00 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक लक्ष्मण सिंह की जांच रिपोर्ट तैयार कीए जिसका शव खजुर के पेड़ से लगभग 21 कदम की दूरी पर मिला था खडॉ था खजुर का पेड़ जो सुखबीर सिंह और गंगा सरन के खेतों के बीच विभाजन रेखा पर स्थित था । अनुसंधान अधिकारी ने खजुर के पेड़ पाँच कदम की दूरी पर मृतक की गाड़ी देखी । मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था जिसे डॉ. एन. के. पांडे पी. डब्ल्यू. 10 द्वारा निष्पादित किया गया था, जिन्होंने मृतक के शरीर पर आठ घावों के अलावा बंदूक की गोली के कई घाव पाए थे। डॉ. पांडे ने यह भी पाया कि  मृतक के  पेट में आंशिक रूप से पचने वाली खाद्य सामग्री थी जिसका वजन लगभग 150 ग्राम था । पोस्टमॉर्टम के दौरान मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 18 बड़ी गोलियां व 80 छर्रे बरामद किए गए।

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित साक्ष्य की विवेचना के बाद राय दी गई कि प्रथम सूचना रिपाेर्ट एंटी टाइम्ड थी एवं चश्मदीद साक्ष्य का मेडिकल साक्ष्य द्वारा खंडन किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा कथित चश्मदीद गवाहन के बयान पी. डब्ल्यू. 2 ,3,4 व 5 अविश्वसनीय पाये गये। चश्मदीद गवाहन के बयान न केवल अभियाेजन के पक्ष मे होेने की दृष्टी से बल्कि उनका व्यवहोर भी अस्वाभाविक था । इस प्रकार यह अज्ञ हत्या थी और किसी भी चश्मदीद गवाह द्वारा घटना काे नही देखा गया । अभियुक्तगण पर उक्त प्रकरण पूरानी दुश्मनी के कारण मात्र संदेह के आधार पर आराेपित किया गया था । उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमत थे। परंतु इस बात पर सहमत नहीं थे कि उन्होनें दो अपीलार्थियाे को सहअपराधी माना एवं उनके खिलाफ बरी के आदेश को अपास्त कर दिया । हम चर्चा के दौरान साक्ष्य के प्रासंगिक भागों का उल्लेख करेंगे और इस हेतु संपूर्ण साक्ष्य को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं हैं। जिनकी व्याख्या दोनों न्यायालयों द्वारा व्यापक रूप से की गई हैं।

मृतक की विधवा श्रीमती कमलेश पी. डब्ल्यू 3 ने विचारण के दाैरान घटना के तरीके के संबंध मे गवाही दी। उसने कहो कि जब वह पहले दो ज्वार के बंडल गाडी में रखने के बाद अपने पति के साथ ज्वार का दूसरा बंडल ला रही थी तब अचानक उसके पति पर गोली चल गई

जिससे ज्वार का बंडल नीचे गिर गया। उसने गवाही दी कि आरोपी नीलू के पास एक बंदूक थी। आरोपी कालू और बाबू दोनों के पास पिस्तौल थी और मेहराज सिंह के पास चाकू था ।

वह उसके पति से लगभग आधा होथ की दूरी पर थी। उसने आगे कहो कि उसके पति ने गाड़ी की तरफ बढ़ने की काेशिश की किंतु वह मुश्किल से बलबीर सिंह के खेत की सीमा तक पहुँच सका। उस समय फिर से नीलू कालू और बाबू ने उस पर गोली चला दी। वह नीचे गिर गया और उसके बाद मेहराज सिंह वहाँ आया और चाकू से उसे घायल कर दिया। उसकी गवाही के अनुसार नीलू ने लगभग 6 से 7 गोलियां चलाई थीं। उसने गवाहन सुखबीर पीडब्लू 2 शिव चरण पीडब्लू 4ए सतकारी पीडब्लू 5 और के बयानो की और ध्यान आकर्षित करने की और संकेत किया। वे भी घटना के साक्षी है । घटना के दौरान नीलू कालू और बाबू प्रत्येक ने अपने आग्नेयास्तरों को फिर से लोड किया था व मृतक पर दो बार गाेली चलाई थी। मेहराज सिंह द्वारा मृतक पर लगभग आधा मिनट से एक मिनट तक चाकू से हमला किया गया एवं मृतक ने जब अपनी अंतिम सासें ली थी तब वह अपनी दाहिनी करवट लेटा हुआ था।

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पति काे बचाने के लिए ना तो उसका बीच बचाव कराया और ना ही आगे आकर हमला खुद पर लेने का प्रयास किया । उसने यह भी स्वीकार किया

कि पूरी घटना के दौरान उसे खरोंच भी नहीं औई और न तो उसके कपड़े फटे और न ही कहीं उन पर खून लगा हुआ था। बलबीर सिंह पीडब्लू 2 शिव चरण पीडब्लू 4 और सतकारी पीडब्लू 5 ने सामान्य तौर पर उनकी गवाही का समर्थन किया है।

बलबीर सिंह पीडब्लू 2 ने जिरह में स्वीकार किया कि वह गोली चलने और रोने की आवाज़ सुनने के के बाद घटनास्थल पर पहुचा था एवं उसने आगे यह भी कहो कि उसने सभी अभियुक्तों को अपने आग्नेयास्तराे काे दाे बार लाेड करने तथा मृतक पर दाे बार गोली चलाते हुए देखा था । उसके अनुसार मृतक पर 3-4 कदम की दूरी से गोलीयाे की पुनरावृत्ति हुई थी। उसने आगे कथन किया कि उसने घटना की सूचना से मृतक के पितो मख़र सिंह को अवगत करा दिया था और वह भी घटना स्थल पहुंच गये थे । इससे यह दर्शित होेतो है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा एस. एच. ओ. व 25 अन्य व्यक्तियों की माैजूदगी में गांव में शाम काे उसके बयान लेखबद्ध् किये गये थे ना कि घटनास्थल पर जबकि वह अनुसंधान अधिकारी के माैके पर पहुंचने तक वहीं पर था।

शिव चरण पीडब्लू 4 ने उन हथियारों के बारे में गवाही दी जो घटना के समय प्रत्येक आरोपी के पास थे और साथ ही साथ उनके मृतक लक्ष्मण पर हमला करने के तरीके के बारे में भी बतोया । उसने स्वीकार किया कि उसने लक्ष्मण को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और आगे

कहो कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें अभियुक्तगण ने अपने हथियाराे से डराया था । उसने यह भी कहो कि मखर सिंह के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उसे घटना के बारे में बतोया। जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह एक आपराधिक मामले में नीलू के पक्ष मे गवाह था जिसे उन्होंने मृतक लक्ष्मण और अन्य के खिलाफ दर्ज किया था लेकिन तब तक लक्ष्मण और अन्य के खिलाफ मामले में उसे परिक्षित नहीं किया गया था । और कहो कि उस मामले में केवल मृतक लक्ष्मण ने ही नीलू कालू और श्री राम को लाठी से चोट पहुँचाई थी।

उसने स्वीकार किया कि घटना के दिन वह अपने खेत में यह देखने के लिए नहीं जा सका कि यह जुतोई के लिए उपयुक्त है या नहीं और वह अगली सुबह ही वहाँ गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह खुद विनोद नाम के एक वकील की हत्या के मामले में मुलजिम है जो अभी लंबित था। उसने अनभिज्ञतो जतोई कि क्या आरोपी नीलू उस हत्या के मामले में उसके खिलाफ गवाह है। उसने स्वीकार किया कि उसके खिलाफ उक्त हत्या के मामले में याद राम और मखर सिंह उसके लिए जमानती थे। उसके अनुसार वर्तमान घटना को रेशम और जोग राज ने भी देखा था। होलाँकि  अभियोजन पक्ष ने विचारण में गवाह के रूप में उनकाे परीक्षित नहीं करवाया है । गवाह सतकारी पीडब्लू 5 ने भी आम तौर पर गवाह बलबीर सिंह पीडब्लू 2 व गवाह कमलेश पीडब्लू 3 के बयानाे का समर्थन

किया। । उसने इस बात से इनकार किया कि वे मखर सिंह के नाैकर था । उसने रेशम को एक चश्मदीद गवाह के रूप में भी नामित किया । चश्मदीद गवाहन के साक्ष्याे के सार के अवलाेकन के बाद हम अब चिकित्सा साक्ष्य का अवलाेकन करेंगे।

डॉ.एन. के. पांडे पीडब्लू 10 ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था । चोटों का विवरण उच्च न्यायालय के फैसले के साथ-साथ विद्वान सत्र न्यायाधीश के फैसले में भी दिया गया है । इसलिए हमें इसे फिर से बनाने की आवश्यकतो नहीं है। उसे मृतक के शरीर पर बंदूक की गोली के घावों के साथ.साथ घाव आंतरिक घाव भी मिले थे। डॉ. पांडे के द्वारा बतोयी गई चोटो के अतिरिक्त चोट संख्या 1-7 , 9 और 13 मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों में बंदूक की गोली लगने के घाव थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि एक गोली से 1,2 और 3 चोटें आई हैं दूसरी गोली से चोट संख्या 4-6 और 13 , तीसरी गोली से चोट संख्या 7 और 8 जबकि चौथी गोली से चोट संख्या 9 और 10 आई थी । होलाँकि यह उच्च न्यायालय की टिप्पणी है न कि चिकित्सक की राय क्योंकि इस संबंध में डॉक्टर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से चोटों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि चोट संख्या 4 में 7X5 सेंटीमीटर के क्षेत्र में नौ बंदूक की गोली के घाव हैं, यह संभवतः केवल एक शॉट का परिणाम हो सकतो है क्योंकि दिशा पीछे की ओर है। चोट 5 और 6 की दिशा नीचे से ऊपर की

ओर है और इसलिए यह संभव है कि चोट 9 और 13 एक ही शॉट के कारण हो सकती थी। उच्च न्यायालय ने चोटों को बिना किसी आधार के विभाजित किया और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जैसे कि चोट संख्या 13 में दाहिने होथ के ऊपरी हिस्से में तीन घाव होते हैं जो चोट संख्या 4 से काफी दूर है। मृतक की ऊंचाई या स्वास्थ्य के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सबूत नहीं है लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय ने चोट न. - 5 व 6 की स्थिति को समझाने का प्रयास किया । यह देखते हुए कि मृतक की बनावट अच्छी थी इसलिए वह अभियुक्त हमलावराे की तुलना में लंबा माना जाएगा। यह विशुद्ध रूप से अनुमानों पर आधारित निष्कर्ष है न कि किसी अभिलिखित साक्ष्य पर। चश्मदीद गवाहों द्वारा भी गवाही दी गई कि मृतक अच्छी बनावट का था, लेकिन उसकी ऊंचाई के बारे में किसी से कोई सवाल नहीं पूछा गया ।

उच्च न्यायालय ने भी बिना किसी साक्ष्य के कहो कि चोट की दिशाओं को ऊपर की ओर से समझाने के लिए पथ का मार्ग आम तौर पर क्षेत्र की तुलना में थोडॉ अधिक होतो है। ऐसा करते हुए उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 3 के साक्ष्य की अनदेखी की है कि पथ का स्तर केवल छह अँगुलियाेें के लगभग था । चश्मदीद गवाहन पी डब्ल्यु 2-5 की गवाही के अनुसार पहली गाेली नीलू द्वारा निकट से लगभग 2 कदम की दूरी से दागी गयी थी और दूसरी गाेली लगभग 6-7 कदम की दूरी से दागी गई

थी। चोट न. 1,2,7,9 व 10 के आस-पास काले निशान व टैटू बने हुए थे। ब्लैकनिंग और टैटू की स्थिति से प्रतीत होतो है कि गोलियां करीब से चलाई गई थीं। अभियोजन द्वारा इसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया और उच्च न्यायालय ने भी प्रकरण के इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की । मृतक के शरीर पर पाये गये घावों के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष ना तो चिकित्सकीय राय और डेटा और ना ही मेडीकल डॉटा से समर्थित था।

डॉ. पांडे ने बतोया कि विभिन्न कटे हुए घावों की चौडॉई में अंतर जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि मृतक पर एक से अधिक धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। फिर भी चश्मदीद गवाहों ने चाकू के प्रहोर के लिए केवल एक ही अपीलार्थी मेहराज सिंह को जिम्मेदार ठहराया है और वह भी केवल एक चाकू से । मृतक पर पायी गई चोट संख्या 11 पर एल आकार की चोट संख्या 18 अर्ध गोलाकार पाई गई है। अन्य चोटें भी अलग आयाम की थीं।निचली अदालत ने इन विसंगतियों को देखा और अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए कहो कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ उचित संदेह से परे मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के कारणों को खारिज कर दिया, लेकिन इस्तेमाल किए गए धारदार हथियारों की संख्या के बारे में डॉक्टर से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना यह अनुमान लगाया कि चूंकि चोटें कुछ मामलों में

शरीर के मांसल हिस्से पर और कुछ हड्डी वाले हिस्से पर थीं। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि चिकित्सकीय साक्ष्य केवल एक राय का प्रमाण है निर्णायक नहीं है। उच्च न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का फैसला कर सकते हैं न कि इस आधार पर कि क्या फैसला किया जाना चाहिए था। मृतक पर पाए गए तीन अलग.अलग प्रकार के घावों के बारे में चिकित्सा गवाह से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था कि क्या ये एक ही हथियार से  हो सकते थे या नहीं । डॉ. पांडे के अनुसार अर्ध पचित भोजन दर्शातो  है कि मृतक ने समय 7.00 ए.एम पर भोजन किया होतो तो उसकी मृत्यु समय 9.00 एएम या 9.30 एएम के मध्य हो सकती थी। यह इस बात की और संकेत करतो है कि घटना उस समय से काफी पूर्व मे घटित हुई है जो अभियोजन द्वारा अभिकथित किया गया है।  उच्च न्यायालय द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि चिकित्सा साक्ष्य से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण हमारी राय में उचित और संतोषजनक नहीं था और दूसरी ओर विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश , मेरठ के सत्र ने इसे उचित तरीके से निपटाया ।

हमें अपीलार्थी के वकील विद्वान श्री तेवतिया का यह तर्क उचित प्रतीत होेतो है कि एफ़ आई और समय से पहले दर्ज की गई थी और इस प्रकार अन्वेषण को दूषित कर दिया गया था ।

उप. निरीक्षक सुल्तोन सिंह पीडब्लू 8 की गवाही के अनुसार दिनांक 03-11-1977 काे लगभग दाेपहर 2 बजे वह घटना स्थल पर पहुंचा था। लक्ष्मण का शव घटना स्थल पर पडाॅ हुआ था। उन्होंने शव का रेखाचित्र तैयार किया। घटना स्थल पर आने से पहले उनकी उपस्थिति पुलिस थाने में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी और उसके बाद उसने जांच शुरू कर दी थी। घटनास्थल पर जाँच रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसने कांस्टेबल महबीर सिंह और सिखबीर सिंह के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसने आगे कहो कि उसने घटना स्थल पर खून देखा  था और वहों से खून से सनी हुई मिट्टी के नमुने इकट्ठे किये थे । उसने गवाहन कमलेश व शिवचरण के बयान घटनास्थल पर अभिलिखित किया जाना जबकि बलवीर सिंह के उसके गांव मे अभिलिखित किया जाना स्वीकार किया और यह भी कि जब बलवीर सिंह के बयान अभिलिखित किए थे तब अन्य गवाहन गांव में माैजूद नही थे। जिरह मे गवाह ने कहो कि उसे न तो कृपाल सिंह के खेत में कोई खून मिला और ना ही कृपाल सिंह के खेत से लेकर उस स्थान तक जहों वास्तव मे शव मिला था काेई खून के निशान नहीं मिले। उसने नक्शा माैका में खेत के उस हिस्से को भी नहीं दिखाया जहों से चारा काट दिया गया । वापस बुलाए जाने परए गवाह ने कहो कि बलबीर ने उसके सामने यह नहीं कहो था कि मखर घटना स्थल पर पहुंच गया था और उसने उसे घटना के बारे में बतोया था। होलांकि अनुसंधान अधिकारी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण

नहीं दिया कि बीर सिंह का बयान क्यों दर्ज नहीं किया जैसा कि बीर सिंह ने उसे बतोया था कि वह घटनास्थल पर मौजूद था, जब अनुसंधान अधिकारी वहाँ आया।निचली अदालत ने पाया था कि प्राथमिकी पूर्व समय पर दर्ज की गई थी लेकिन उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित समय पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और अन्वेषण में कोई अन्याय या दाेष नहीं था। जिन कारणों से हम वर्तमान में विवेचित करेंगे हमारी राय है कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित समय पर प्राथमिकी नहीं की गई थी।

गवाह पीडब्लू 3 के अनुसार मृतक सुबह 7 बजे घर से निकला था। इसलिए उसने घर से निकलने से पहले खाना खा लिया होगा क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि जब वह खेत पर था तो उसे खाना परोसा गया था। चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृतक के भोजन करने के लगभग दो से ढाई घंटों के भीतर मृत्यु हो सकती थी क्योंकि मृतक के पेट में 150 ग्राम अर्ध पचाया हुआ भोजन पाया गया था। पी डब्ल्यूण 3 के अनुसार यह घटना सुबह लगभग 11.30 एएम पर हुई जिसका अर्थ है कि मृतक ने सुबह 7 बजे के बाद खाना खाया एवं लगभग 9.30 एएम पर घर से निकला। पीडब्लू 3 की ओर से यह दिखाने का प्रयास किया गया कि घटना सुबह 11.30 बजे हुई थी। ऐसा प्रतीत होतो है कि वह यह कहते हुए

अभियोजन पक्ष का समर्थन करना चाहती थी कि एफ आईऔर तुरंत 12.45 पीएम पर मखर सिंह द्वारा दर्ज कराई गयी थी और उसने घटना देखी थी। अभियोजन पक्ष अनुसार पी.डब्ल्यू 8 अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद घटना स्थल के लिए रवाना हुए। लेकिन हमने पाया कि गवाह अनुसंधान अधिकारी सुल्तोन सिंह PW-8 के द्वारा मौके पर उसके द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट में एफ औई और नंबर या अपराध संख्या नहीं दी गई। यहाँ तक कि जाँच रिपोर्ट में मामले के शीर्षक का भी उल्लेख नहीं है। जाँच रिपोर्ट से इन महत्वपूर्ण तथ्यो के लोप के संबंध मे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। क्या ऐसा इसलिए था, क्योंकि वास्तव में उस समय कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित किया गया था और पीडब्लू8 मौके पर पहुंच गया था और उसके बाद कुछ परामर्श और विचार विमर्श अस्तित्व में आया था ?  जाँच रिपोर्ट से इन महत्वपूर्ण तथ्यो के लोप के संबंध मे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एफआईऔर की प्रति जांच रिपोर्ट और शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सा अधिकारी को भी नहीं भेजी गई थी।एफ आई और की प्रति नहीं भेजने या जाँच रिपोर्ट में मामले का नाम या अपराध संख्या का उल्लेख नहीं करने के लिए पी. डब्ल्यु. 8 का स्पष्टीकरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है और उच्च न्यायालय ने सुल्तोन सिंह पी डब्ल्यू 8 के किये गये कथनाे काे (ipse dixit) को स्वीकार करने में गलती की है। यह ध्यान देने

योग्य है कि जाँच रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम भी नहीं लिया गया है। इसमें चश्मदीद गवाहों के नाम या चश्मदीद गवाहों के बयान का सार भी नहीं है। यह नहीं बतोतो कि कितनी गोलियां चलाई गईं या कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। जाँच रिपोर्ट पर किसी भी चश्मदीद गवाह के हस्तोक्षर नहीं हैं होलाँकि जाँच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहो है कि कमलेश और शिव चरण घटनास्थल पर मौजूद थे जब वह वहों पहुंचा था और उसने उनके बयान दर्ज किए । यह घटना तब हुई जब उन्होंने दौरा किया। अगर उन्होंने वास्तव में उनके बयान दर्ज कि थे तो उनका कोई कारण नहीं है कि जिन विवरणों को हमने जांच रिपोर्ट से गायब पाया है वे वहों नहीं होने चाहिए थे। एक और कारक है जो बहुत प्रासंगिक है, अभियोजन पक्ष ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया कि एफआईऔर, विशेष रिपोर्ट (जिसे दंड प्रक्रिया संहितो की धारा 154 सहपठित धारा 157 के वैधानिक प्रावधानों के तहत तुरन्त मजिस्ट्रेट को अनिवार्यतो थी) की प्रति वास्तव में कब भेजी गई। एेसा कोई साक्ष्य यह दर्शित करने के लिए नहीं है कि मजिस्ट्रेट को एफआईऔर की प्रति प्राप्त हुई। मजिस्ट्रेट को एफ आई और की प्रति कब मिली इसका कोई सबूत नहीं है। पीडब्लू 8 मामले के इस पहलू पर अकेले ही चुप रहो है। पीडब्लू 3 के अनुसार पुलिस निरीक्षक ने घटनास्थल पर उसके अंगूठे का निशान लिया था लेकिन अभियोजन पक्ष ने उस दस्तोवेज़ को अदालतों की जांच से लिया है जिसके कारण वह सबसे अच्छी तरह से जानतो है। विद्वान वरिष्ठ

वकील श्री तेवतिया का तर्क कि चूंकि अन्वेषण अधिकारी के मौके पर पहुंचने और जांच की कार्यवाही करने तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी इसलिए पुलिस द्वारा एक दस्तोवेज पर पीडब्लू 3 का अंगूठे का निशान लिया गया था जिसे प्राथमिकी के रूप में उपयोग करने की आवश्यकतो थी। इसे बिना किसी गुणावगुण के नहीं कहो जा सकतो है। पीडब्लू 8 का यह कर्तव्य था कि वह बतोए कि किस दस्तोवेज पर उसने घटनास्थल पर मृतक की विधवा के अंगूठे का निशान प्राप्त किया था और उस दस्तोवेज को अदालतों की जांच के लिए पेश करे। उन्होंने ऐसा नहीं किया।

एफआईऔर आपराधिक मामले में और विशेष रूप से हत्या के विचारण में साक्ष्य की विवेचना के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान साक्ष्य है। एफआईऔर को शीघ्र दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियो के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है जिसमें अपराध किया गया था। जिसमें वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा किये गये कृत्यो और हथियार यदि कोई हो और चश्मदीद गवाहों के नाम यदि कोई हो शामिल हैं। एफआईऔर दर्ज करने में देरी के परिणाम स्वरूप अक्सर अशोभनीय भावना पैदा होती है जो एक पश्चातवर्ती विचार की उपज है। देरी के कारण एफआईऔर न केवल सहजतो के लाभ से वंचित हो जातो है बल्कि एक आच्छदित दृष्टि या अतिरंजित कहोनी की शुरुआत से भी खतरा पैदा हो जातो है। यह निर्धारित करने के लिए कि

क्या एफआईऔर उस समय दर्ज की गई थी जब इसे कथित रूप से दर्ज किया गया था। अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जाँचों करती है। इस तरह की जाचों में से एक एफआईऔर की प्रति की प्राप्ति है जिसे हत्या के विचारण में स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा एक विशेष रिपोर्ट कहो जातो है। यदि एफआईऔर मजिस्ट्रेट को देरी से प्राप्त होेती है तो यह एक अनुमान को इंगित करतो हैं कि जिस समय एफआईऔर का दर्ज किया जाना कथित है उस समय एफऔईऔर दर्ज नहीं की गई थी। जब तक कि अभियोजन पक्ष स्थानीय मजिस्ट्रेट को एफआईऔर की भेजने या प्राप्त करने में देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे देते है। दूसरी बाहरी जाँच एफआईऔर की प्रति को शव के साथ भेजना और जाँच रिपोर्ट में इसका संदर्भ देना समान रूप से महत्वपूर्ण है। भले ही जांच रिपोर्ट धारा 174 सीऔरपीसी के तहत तैयार की गई हो। इसका उद्देश्य एक वैधानिक कार्य को पूरा करना एवं अभियोजन मामले को विश्वास दिलाना कि एफआईऔर का विवरण और जांच कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए बयानों का सार, रिपोर्ट में प्रदर्शित होतो है। इन जानकारियों का अभाव यह संकेत देतो है कि अभियोजन पक्ष की कहोनी अभी भी उलझी हुई है और उसे कोई भी रूप दिया गया था और यह कि एफआईऔर बाद में उचित विचार विमर्श और परामर्श के बाद दर्ज की गई थी और फिर इसे तुरंत दर्ज किए जाने का रूप देने के लिए एफआईऔर को पूर्व समय दिया गया था। हमारी राय में ऊपर देखी गई दुर्बलतोओं के कारण एफ़ आई और ने अपना मूल्य और प्रामाणिकतो खो

दी है और हमें ऐसा लगतो है कि पी डब्ल्यू 8 द्वारा मौके पर जाँच की कार्यवाही समाप्त होने के समय तक इसे दर्ज नहीं किया गया था।

ऐसा प्रतीत होतो है कि यह एक अज्ञात रूप से की गई हत्या थी और कोई भी चश्मदीद गवाह वास्तव में घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। एफआईऔर दर्ज करने मे लिया गया समय निश्चित रूप से चश्मदीद गवाहों को, अभियोजन पक्ष के समर्थन करने के लिए परीचित करवाने के लिए था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यद्यपि मृतक की विधवा पी.डब्ल्यू.3 ने दावा किया कि घटना के समय वह अपने पति के साथ मौजूद थी लेकिन उसका आचरण इतना अस्वभाविक था कि उसने न तोे अपने पति को बचाने की कोशिश की बल्कि उसके पति के गिरने और प्रतोड़ित होने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश की नही की। अपीलार्थी एम द्वारा चाकू से बार-बार वार करने पर भी उसने ना तो अपने पति के पास जाने की कोशिश की बल्कि  बाद में भी अपनी गोद में उसका सिर पकड़कर उसे आराम देने की कोशिश भी नही की। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि उनमें से किसी के कपड़ों पर खून लगा हो। तथ्य यह है कि इनमें से कोई भी गवाह रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए भी नहीं गया इसके बजाय एफआईऔर दर्ज करवाना मृतक के पितो पर छोड़ दिया गया उक्त आचरण यह दर्शातो है कि काेई भी गवाह संभवतः मौके पर मौजूद नहीं थे। के के खेत में रक्त नहीं होेना और खेत के उस स्थान पर रक्त के निशान न

होेना जहों मृतक का शव पाया गया था। जैसा कि पीडब्लू 8 द्वारा स्वीकार किया गया है यह दर्शातो है कि घटना उस तरीके से नही हुई है जिस तरह से अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया है और लडॉई की उत्पत्ति का कारण अदालत से छुपाया गया है। पोस्टमॉर्टम निरीक्षण करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य से दर्शित होतो है कि मृतक के पेट में आंशिक रूप से पचने वाली खाद्य सामग्री थी जिसका वजन लगभग 150 ग्राम था। जिससे यह निष्कर्ष निकलतो है कि यह घटना सुबह 9 से 9.30 बजे के बीच हुई होगी। यदि मृतक ने सुबह 7 बजे अपना भोजन किया था तो अभियोजन पक्ष के कथन की सत्यतो पर संदेह उत्पन्न होतो है जिसमें घटना के समय को सुबह 11.30 एएम पर कारित होना बतोया है। संभवतः यह आश्वासन देने के लिए कि पीडब्ल्यू 2, 3,4 और 5 उस समय खेत में मौजूद थे। चिकित्सक का यह साक्ष्य कि उसने मृतक पर एक एल आकार की चोट (चोट संख्या 11) और एक अर्ध गोलाकार चोट (चोट संख्या 18) सहित घाव पाए थे इस तथ्य का संकेत है कि ये दोनों चोटें अलग-अलग हथियारों से कारित की गई थी और मृतक पर अन्य घावों की प्रकृति को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकतो है कि तीन प्रकार के धारदार हथियारों का उपयोग किया गया था। इस स्थिति से यह स्पष्ट है कि चश्मदीद साक्ष्य व चिकित्सा साक्ष्य आपस मे मेल नही खातो है बल्कि विरोधाभासी है। इस संबंध में यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि गवाह पीडब्लू 5 सतकारी ने उक्त घटना की चश्मदीद गवाह के रूप में

रेशम को भी नामित किया । उच्च न्यायालय ने सतकारी को एक संयोग गवाह के रूप में भी उचित माना लेकिन अभियोजन पक्ष ने यह स्परष्ट नहीं किया कि चश्मदीद गवाह के रूप मे रेशम को परीक्षित कियों नहीं कराया गया । बलबीर पीडब्लू 2 के अनुसार जोग राज भी एक चश्मदीद गवाह था । उसकाे भी परिक्षित नहीं कराया गया । शिव चरण पीडब्लू 4 ने भी रेशम और जोग राज को चश्मदीद गवाह के रूप में नामित किया । इस प्रकार हमें ऐसा लगतो है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा रेशम और जोग राज को मिथ्या चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पेश करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया था लेकिन वे परिक्षित नहीं कराये गये। इसलिए यह अनुमान लगाना उचित होगा कि वे शायद समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे । यह तथ्य कि कथित चश्मदीद गवाहों को अभियोजन के साथ गहरी दिलचस्पी होनाकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से अदालत को उनके साक्ष्य की अधिक सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए तैयार करतो है। उनके असहज व्यवहोर को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होतो है कि किसी भी चश्मदीद साक्षी ने वास्तव में इस घटना को नहीं देखा था और काफी विचार विमर्श और परामर्श के बाद उन्हें चश्मदीद गवाहों रूप में पेश किया गया था। ऐसा प्रतीत होतो है कि चूंकि यह एक अज्ञात हत्या थी इसलिए अपीलार्थियों को पिछली दुश्मनी की वजह से संदेह के कारण शामिल किया गया है।

अभिलेख पर साक्ष्य के हमारे स्वतंत्र विश्लेषण के साथ साथ ऊपर देखी गई त्रुटियों हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियाेजन पक्ष किसी भी अपीलार्थी के विरूद्ध उचित संदेह से परे अपराध को साबित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए निचली अदालत ने उचित बरी कर दिया और हमारी राय में कमियाे को नोटिस करने के बाद भी उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में त्रुटि की है। उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश को अपास्त करने के लिए दिए गए कारण हमें स्वीकार्य नहीं हैं। वे न तो पर्याप्त हैं और न ही पर्याप्त या ठोस है जिन्हें कम सम्मोहक होना चाहिए। हमारी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप हम मानते हैं कि दोनों अपीलार्थीयों के खिलाफ प्रकरण उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ हैं और वे संदेह के लाभ के हकदार हैं। फलस्वरूप उनकी अपीलें सफल होती हैं और अनुमति दी जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जातो है । यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकतो नहीं है तो अपीलार्थियों को तुरंत रिहो कर दिया जाएगा।

और.और. अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहोयतो सेअनुवादक न्यायिक अधिकारी **श्री लाकेन्द्र चौधरी (और.जे.एस)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने केसीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकतो है। सभी व्यावहोरिक और अधिकारिक उददेश्यो के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंगेजी संस्कारण ही मान्य होगा।